न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी - श्रीमति सीता शर्मा आर.ए.एस.

अनवान -

1. मन्शाराम पुत्र श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी 24 एस.डी. तहसील सुरतगढ़ जिला अनूपगढ़ राजस्थान
2. पृथ्वीराज पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी 24 एस.डी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान

-प्रार्थीगण-

बनाम

1. हनुमान प्रसाद पुत्र श्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी 22 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान
2. किरणदीप कौर पत्नी श्री गुरमीत सिंह जाति मेघवाल निवासी पंचायत समिति के पीछे, आर.सी.पी. कॉलोनी, श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़
3. गुरमीत सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति मेघवाल निवासी पंचायत समिति के पीछे, आर.सी.पी. कॉलोनी, श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़
4. हरलाभ सिंह पुत्र श्री बुगड़ सिंह जाति जटसिख निवासी 23 एस.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान
5. निर्मल सिंह पुत्र श्री हरलाभ सिंह जाति जटसिख निवासी 23 एस.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान
6. केशूराम पुत्र हुक्माराम जाति नायक निवासी 23 एस.डी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान
7. बख्ताराम पुत्र नारायणराम जाति नायक निवासी 1 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

-अप्रार्थीगण-

उपस्थिति - 1. श्री औम धायल एवं चन्द्रप्रकाश वकील प्रार्थीगण
2. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 74/2017 निर्णय दिनांक - 29/02/2024

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थीगण के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम से वाके चक 23 एस.डी. का मुन. 27 प.न. 149/415 का कि.न. 1,2,10 का रकबा प्रार्थीगण का संयुक्त खाता का है एंव मु.न. 16 प.न. 147/418 का कि.न. 18 ता 23 व मु.न. 23 प.न. 147/419 का कि.न. 15 ता 25 का रकबा मंशाराम पुत्र धर्मपाल के नाम से व मु.न. 23 प.न 147/419 का कि.न. 8, 13 का रकवा प्रार्थी पृथ्वीराज पुत्र धर्मपाल के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण के उपरोक्त पैरा में वर्णित खातेदारी रकवा में सिंचाई सुविधा व नहरबंदी आदि के दौरान आबपाशी के लिए 23 एस.डी का मु.न. 149/415 का कि.न. 1 में ट्यूबवैल स्थापित किया हुआ है व उक्त ट्यूववैल से अपने रकबा चक 22 एस.डी. के रकबा में पानी ले जाने के लिए भूमिगत पाईप लाईन अप्रार्थीगण के रकबा चक 23 एस.डी. का मु.न. 149/415 का कि.न. 12, 19 जो कि अप्रार्थी हनुमान का रकबा है मे से कुत्तरी व मु.न. 30 प.न. 149/416 का कि. न. 7,14,17,24,25 मे से कुत्तरी जो कि अप्रार्थी सहीराम के नाम से है व मु.न. 35 प.न. 148/417 का कि.न. 1,10,11,20,21,22 में से कुत्तरी जो कि अप्रार्थीगण हरलाभसिंह व निर्मलसिंह के नाम से है तथा मु.न. 36 प.न. 149/417 का कि.न. 5,6 मे से जो कि अप्रार्थी केशूराम के नाम से है तथा मु.न. 149/416मु.न. 30 का कि.न. 3 व 8 जो कि बख्ताराम के नाम से है मे से पाईप लाईन बिछाई हुई है एंव उक्त रकवा से होकर पाईप लाईन प्रार्थीगण के रकबा चक 22 एस.डी. का मु.न. 16 व 23 में प्रवेश करती है जिससे प्रार्थीगण अपने रकबा में सिंचाई हेतु चक 23 एस.डी. का मु.न. 27 कि.न. 1 में स्थापित ट्यूबवैल से प्राप्त करते आ रहे है एंव उक्त पाईप लाईन भूमिगत सभी अप्रार्थीगण की पूर्ण सहमति से व उनके पूर्ण ज्ञान में पिछले करीब 5-6 वर्षों पूर्व बिछाई हुई है जिससे निरन्तर, निर्बाध प्रार्थीगण सिंचाई सुविधा प्राप्त करते आ रहे है। चूंकि पूर्व में सभी काश्तकार सहमत थे एंव उनकी सहमति एंव स्वतंत्र इच्छा से व उनके पूर्ण ज्ञान में पाईप लाईन बिछाई गयी थी जिससे निरन्तर सिंचाई सुविधा प्राप्त करते आ रहे है एंव उक्त पाईप लाईन बिछाने में प्रार्थीगण का करीब 20 लाख रूपया खर्च हो गया है जो कि प्रार्थीगण ने अपने रकवा की बेहतर आबपाशी को ध्यान में रखते हुए खर्च किया व भूमि सुधार हेतु खर्च किया हुआ है। अब अप्रार्थीगण की अन्य कारणो से मन मुटाव हो जाने के कारण से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाना चाहते है जिसके लिए वे प्रार्थीगण को उनके रकबा से चली आ रही भूमिगत पाईप लाईन को नुकसान पहुंचाने के लिए धमकीया दे रहे है जिस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 28.07.2016 को पंचायत कर अप्रार्थीगण को समझाया कि हमने पाईप लाईन आपकी सहमति से विछाई हुई है व इससे हमारे रकबा को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है चूकि 22 एस.डी. में नीचे का पानी सिंचाई योग्य नहीं है इसलिए 23 एस.डी. जो कि घग्घर बहाव क्षेत्र का रकबा है में नीचे का पानी सिंचाई योग्य होने से इस रकबा में

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

ट्यूबवैल स्थापित कर करीब 20 लाख रूपया खर्च कर पाईप लाईन बिछाई है आप इसे क्षतिग्रस्त मत करे इससे प्रार्थीगण का रकबा बंजर हो जावेगा व ना पूरा होने वाला नुकसान होगा किन्तु अप्रार्थीगण नहीं माने व पाईप लाईन को नुकसान पहुंचाने व उखाड़ फैकने की धमकी दी बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त विधि विरूद्ध कृत्यो में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एंव प्रार्थीगण का रकबा सिंचाई सुविधा के अभाव में बंजर हो जावेगा व उक्त सुविधा पर खर्च किया गया बीस लाख रूपया भी व्यर्थ हो जावेगा जबकि उक्त पाईप लाईन को स्वीकृत किया जाने पर अप्रार्थीगण के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा चूंकि पाईप लाईन भूमि तल से 3 फुट गहराई में बिछाई गयी है इसलिए अप्रार्थीगण को कोई नुकसान नहीं है। इसलिए उक्त पाईप लाईन को स्वीकृति प्रदान करते हुए अप्रार्थीगण को उक्त पाईप लाईन से छेडछाड़ नहीं करने व पाईप लाईन को यथावत् रखने के लिए पावन्द किया जाना न्यायोचित है। आदि आदि का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के रकबा 23 एस.डी. का मुन. 27 प.न. 149/415 का किन. 1 में स्थापित ट्यूववैल से अपने रकबा चक 22 एस.डी. के रकबा में पानी ले जाने के लिए भूमिगत पाईप लाईन चक 23 एस.डी. का मु.न. 149/415 का कि. न. 12, 19 जो कि अप्रार्थी हनुमान का रकबा है मे से कुत्तरी व मु.न. 30 प.न. 149/416 का कि.न. 7,14,17,24,25 मे से कुत्तरी जो कि अप्रार्थी किरणदीप कौर व गुरमीत सिंह के नाम से है व मु.न. 35 प.न. 148/417 का किन. 1,10,11,20,21,22 में से कुत्तरी जो कि अप्रार्थीगण हरलाभसिंह व निर्मलसिंह के नाम से है तथा मु.न. 36 प.न. 149/417 का कि.न. 5,6 में से जो कि अप्रार्थी केशूराम के नाम से है तथा मु.न. 149/416मुन. 30 का किन. 3 व हे जो कि बख्ताराम के नाम से है में से पाईप लाईन बिछाई हुई है को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामील नोटिस अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। इसलिए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पाईप लाइन की आवश्यकता जल स्त्रोत हेतू, जोत के मात्र सुविधाजनक उपभोग के लिए है। प्रकरण व नजरी नक्शा में बतायी गयी पाईप लाइन, प्रकरण दर्ज होने के पूर्व से व वर्तमान में भी मौके पर भूमिगत चल रही है। पाईप लाइन हेतू अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रकरण में दर्शाया गया विकल्प ही न्यूनतम व निकटतम विकल्प है। रिपोर्ट में दर्शायी गयी पाईप लाइन पूर्व से ही मौके पर होने के कारण, वर्तमान में नुकसान होने की संभावना नहीं है। पाईप लाइन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा भूमिगत होने के कारण खातेदारान के काश्तकारी अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ता। पाईप लाइन हेतू प्रस्तावित भूमि का सम्पूर्ण भूमिगत मार्ग खातेदारान की भूमि से होकर जाता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण के रकबा के लिए वर्णित पाईप लाईन पूर्व से ही चली आ रही है जो अप्रार्थीगण के पूर्ण ज्ञान में है। उक्त पाईप लाईन

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

मात्र सिंचाई की सुविधा के लिए भूमिगत बिछाई गई है। उक्त पाईप लाईन के लिए अन्य कोई न्यूनतम व निकटतम विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाही गयी पाईप लाईन स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाकर रकबा 23 एस.डी. का मुन. 27 प. न. 149/415 का किन. 1 में स्थापित ट्यूबवैल से प्रार्थीगण के रकबा चक 22 एस. डी. के रकबा में पानी ले जाने के लिए भूमिगत पाईप लाईन चक 23 एस.डी. का मु. न. 149/415 का कि. न. 12, 19 जो कि अप्रार्थी हनुमान का रकबा है मे से कुत्तरी व मु.न. 30 प.न. 149/416 का कि.न. 7,14,17,24,25 मे से कुत्तरी जो कि अप्रार्थी किरणदीप कौर व गुरमीत सिंह के नाम से है व मु.न. 35 प.न. 148/417 का किन. 1,10,11,20,21,22 में से कुत्तरी जो कि अप्रार्थीगण हरलाभसिंह व निर्मलसिंह के नाम से है तथा मु.न. 36 प.न. 149/417 का कि.न. 5,6 में से जो कि अप्रार्थी केशूराम के नाम से है तथा मु.न. 149/416मुन. 30 का किन. 3 व हे जो कि बख्ताराम के नाम से है में से पाईप लाईन बिछाई हुई जो पूर्व में चल रही है को स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29/02/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमति [illegible] शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर